न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	43/2024
दायर दिनांक	:	10.06.2024
निर्णय दिनांक	:	24.06.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र सूवालाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
2. कमलेश पुत्र कैलाश जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
3. कमला पुत्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
4. चिरंजीलाल पुत्र सूवालाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
5. पुष्पा पुत्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
6. बच्ची पत्नी स्व. कैलाश जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
7. रविशंकर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
9. रामकिशोर पुत्र सूवालाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
10. रिद्धीचन्द पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
11. शीला पुत्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
12. सुरेश चन्द पुत्र सूवालाल जाति ब्राह्मण, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सूरजपुरा, पटवार हल्का सूरजपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सूरजपुरा, तहसील दौसा जिला दौसा में कृषि भूमि नया खाता संख्या 51 पुराना खाता संख्या 47 आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 0.85 है., खसरा नम्बर 15 रकबा 1.81 है., खसरा नम्बर 16 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 17 रकबा 0.05 है., खसरा नम्रब 18 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 19 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 20 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 813 रकबा 0.57 है. कुल किता 8 कुल रकबा 4.17 है. स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगों की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते हैं और प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं ताकि प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा रहे व प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा रहे। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में दिनांक 02.06.2024 को कराया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्ण काबिज रह कर काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि नया खाता संख्या 51 पुराना खाता संख्या 47 के आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 0.85 है., खसरा नम्बर 15 रकबा 1.81 है., खसरा नम्बर 16 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 17 रकबा 0.05 है., खसरा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

नम्बर 18 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 19 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 20 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 813 रकबा 0.57 है. कुल किता 8 कुल रकबा 4.17 है. वाके ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा के खसरा नम्बर 14 लगायत 20 व 813 किता 8 रकबा 4.17 है. की खातेदारी ओमप्रकाश चिरंजीलाल रामकिशोर सुरेशचन्द पि. सुवालाल बच्चीदेवी पत्नी कैलाश कमलेश राजेन्द्र पि. कैलाश व कमला पुष्पा पुत्रियान रामगोपाल, रविशंकर सिद्धिचन्द पि. रामगोपाल जाति ब्राह्मण सा. दौसा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरों का सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। भूमि मौके पर खाली है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14 लगायत 20 व 813 कुल किता 8 कुल रकबा 4.17 है. का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ... मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)